मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन–462011
फोन–(0755) 2570431, 2570442 फैक्स : 0755 –2556619
Email :- mpsacs@gmail.com Website :- www. mpsacsb.org

क्रमांक / एफ 21–31 / आई.सी.टी.सी. / 2019 / 1927 भोपाल, दिनांक 15/7/19

प्रति,

1. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल,ग्वालियर,इंदौर,रीवा,जबलपुर,सागर
2. अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल,ग्वालियर,इंदौर,रीवा,जबलपुर,सागर
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,मध्यप्रदेश
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ,मध्यप्रदेश
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ,मध्यप्रदेश

विषय :– स्वास्थ्य केन्द्रों मे बच्चों की एचआईवी जांच के संबंध में।

एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती माता से उनके शिशु को एच.आई.व्ही. का संक्रामण गर्भावस्था के दौरान,प्रसव के समय एवं स्तनपान के दौरान हो सकता है। संक्रमित माता से उनके शिशु में एचआईवी संक्रामण होना एक गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिला से बच्चे में होने वाले संक्रामण की रोकथाम के लिए Prevention of Parent to Child Transmission of HIV/AIDS (PPTCT) कार्यक्रम संचालित है , जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच ,जांच पूर्व परामर्श एवं उनकी सहमति पश्चात की जानी है। एचआईवी संक्रमित माता से जन्मे शिशुओं की जांच हेतु निम्न कार्यवाही की जावे :

1. एचआईवी संक्रमित माता से जन्मे सभी शिशुओं की जांच ईआईडी दिशानिर्देशों के अनुसार बच्चे की 6 सप्ताह/6 माह/12 माह व 18 माह की आयु पर की जावे।
2. SNCU/PICU/NBSU में भर्ती होने वाले 6 सप्ताह–18 माह आयु के बच्चे जिनमें Oral Thrush,Severe Pneumonia एवं Sepsis के लक्षणो में से किन्ही दो अथवा तीनों लक्षण पाये जाते है, तो सर्वप्रथम आईसीटीसी से समन्वय स्थापित कर,ऐसे बच्चों की माता की जांच की जावे। यदि माता का जांच परिणाम धनात्मक है, तो ही बच्चे की ईआईडी दिशानिर्देशों के अनुसार एचआईवी जांच किया जाना सुनिश्चित की जावे ।
3. NRC मे भर्ती होने वाले 18 माह से अधिक आयु के सभी बच्चे जो SAM के लक्षणों के साथ /कंडिका 2 के लक्षणों के साथ पाये जाते है, तो सर्वप्रथम आईसीटीसी से समन्वय स्थापित कर माता की जांच की जावे। यदि माता का जांच परिणाम धनात्मक पाया जाता है तो ही बच्चे की जांच सामान्य व्यक्ति हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप की जावे।
4. ऐसे बच्चे जिनकी माता एचआईवी परीक्षण हेतु उपलब्ध नही है,की जांच उपरोक्त कंडिका दो व तीन के अनुसार लक्षण पाये जाने पर चिकित्सक के परामर्श उपरांत सुनिश्चित की जावे।
5. सिफलिस संक्रमित माता से जन्मे शिशु को सिफलिस का उपचार नाको के दिशानिर्देशों अनुसार दिया जावे। सिफलिस संक्रमित माता से जन्मे नवजात का उपचार 10 दिवस तक चल सकता है अतः ऐसे बच्चों को चिकित्सक की देखभाल में SNCU में ही उपचार दिया जावे।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे, ताकि यदि बच्चा संक्रमित पाया जाता है तो उसका उपचार शीघ्र आरंभ किया जा सके।

15.7.19

o/c परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

पृ.क्रमांक/एफ 21–31/आई.सी.टी.सी./2019/ 1928 भोपाल, दिनांक 15.7.19

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. उपसंचालक, मातृ स्वास्थ्य,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्य प्रदेश।
2. उपसंचालक, शिशु स्वास्थ्य,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्य प्रदेश।
3. उपसंचालक, शिशु स्वास्थ्य पोषण,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्य प्रदेश।
4. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी ,मध्य प्रदेश।
5. आई.सी.टी.सी. जिला सुपरवाइजर/डापकू कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट/भोपाल / देवास/इंदौर/हरदा/मंदसौर/पन्ना/रीवा।
6. समस्त आईसीटीसी केन्द्र, मध्य प्रदेश।

15.7.19

dc परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल